

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक / प्रशिक्षण / 2013 / 22644

भोपाल, दिनांक 6/12/13

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश।

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली स्थिति प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग बाबत।

-0-

मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10/51/2011/25-2 भोपाल दिनांक 13.9.2013 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली स्थिति प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग योजना स्वीकृत की गई है। योजना अन्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे प्रतियोगी जिनके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा अथवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की गई है अथवा गेट/केट परीक्षा 70 प्रतिशत पर्सेन्टाइल से उत्तीर्ण है, उनको संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु चयनित किया जाना है। योजना की प्रति संलग्न है। इसके लिए जिले में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा गेट/केट निर्धारित अंक वाले आवेदकों से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं।
2. लोक सेवा आयोग/उच्च न्यायालय द्वारा जारी परीक्षाफल सूची में आपके जिले के सफल प्रतियोगियों को सीधे पत्र लिखकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु शासन की योजना से अवगत कराया जाए।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र (5.00 लाख) /अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाकर आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक परीक्षण जिला स्तर पर पूर्ण किया जाए।
4. योजना के प्रावधानों अनुसार कोचिंग शुल्क की स्वीकृति जिला स्तर पर प्रदान की जाए। कोचिंग संस्था के लिए कोचिंग शुल्क निर्धारित किशतों में तथा प्रतिभागी के लिए कोचिंग अवधि अनुसार आवासीय एवं भोजन आदि व्यय के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान प्रतिभागी को आधार कार्ड आधारित बैंक एकाउन्ट में भुगतान की जाए।
5. जिला स्तर पर चयनित /स्वीकृत का डाटा कम्प्यूटराईज्ड किया जाए तथा आवश्यक राशि की मांग इस कार्यालय को प्रेषित की जाये। आपसे डाटा व स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर आपको आबंटन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(उमाकांत उमराव)

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

क्रमांक / शि.शाला / 2013 /

भोपाल, दिनांक 29.11.2013

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. सर्व संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
3. सर्व सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र./सर्व जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश